रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 94] नई दिल्ली, बुधवार, जून 8, 1977/ज्येष्ठ 18, 1899
No. 94] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 1977/JYAISTHA 18, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 8th June 1977

SUBJECT —*Import Policy for April 1977—March 1978.*

No. 35-ITC(PN)/77.—Attention is invited to the import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Volume I) for the period April 1977—March 1978.

2. The following amendments may be made at the appropriate places in the Import Trade Control Policy Book (Volume I) for the period 1977-78 :—

Page No. of the Policy Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
(1)	(2)	(3)
26	Section II, Heading No. 12 01/10 sub-heading (1)—Copra, Column 3.	1. The following additional remark (iii) may be deemed to have been inserted . "(iii) Requirement of Copra for industrial purposes will be met by imports through Public Sector agency. Please see Section III of this book." 2. The existing remark (iii) may be re-numbered as remark (iv).

(1)	(2)	(3)
27	Section II, Heading No. 15.07 sub-heading (1) Soyabean oil and (6) Palm oil.	1. The following additional remark (iii) may be deemed to have been inserted : "(iii) Requirement of (1) Soyabean oil and (2) Palm oil for industrial purposes will be met by imports through Public Sector agency Please see Section III of this book." 2. The existing remark (iii) may be re-numbered as (iv).
29	Section II, Heading No. 25.01/32 S. No. 12—Flourspar, Column 3.	The existing words "subject to non-availability from the Gujarat Mineral Development Corporation, Ahmedabad" appearing in this remark may be deemed to have been deleted.
84	Section III, Group C—Heading, State Trading Corporation of India Ltd (STC)	1 The following entries may be deemed to have been inserted after the existing entry 54—Woollen rags in the respective columns

"1	2	3
55. Copra 56. Soyabean oil. 57. Palm oil.		For meeting the requirements of actual users engaged in Vanaspati, Soaps and other industrial purposes."

2. The existing S. No. 55 may be deemed to have been re-numbered as S No. 58

109	Section V, Appendix I, Part IV, Item No. 230.	This entry may be deemed to have been deleted
116	Section V, Appendix 2, S. No. 1, Column 3.	The following additional remark may be deemed to have been inserted after the existing remark (iv) : "(v) Applications may be made to the licensing authorities concerned i e in the case of DGTD units, application may be made to the CCI&E, New Delhi and in the case of SSI units, applications may be made to the regional licensing authorities concerned under whose jurisdiction the applicant unit falls."
204	Section V, Appendix 19, List I, Item No. 234.	This entry may be deemed to have been deleted
217	Section V, Appendix 21, Para 3.	The following additional sub-para (iii) may be deemed to have been inserted : "(iii) Technical journals and magazines, newspapers, news magazines and books [other than those coveted by Open General Licence and fiction referred to at (i) above] can be imported upto 100% of the value of quota licence."
236	Section V, Appendix 24, Para 3	The existing para may be deemed to have been substituted by the following- "A U. for import of fluorescent pigments and colours"

A. S. GILL,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 8 जून, 1977

विषय—अप्रैल 1977–मार्च 1978 के लिए आयात नीति।

सं० 35–आईटीसी (पीएन)/77.—अप्रैल 1977–मार्च 1978 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (वा० 1) में यथानिहित आयात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन 1977–78 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति में उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :—

नीति पुस्तक (वा० 1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
26	खंड–2, शीर्षक सं० 12 01/10, उप-शीर्षक (1) खोपरा, कालम 3	1 निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी (iii) निविष्ट की गई समझी जाए :— "(iii) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए खोपरे की आवश्यकताएं सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण द्वारा किए गए आयातों से पूर्ण की जाएंगी। कृपया इस पुस्तक का खंड– III देखें।" 2 वर्तमान टिप्पणी (iii) को (iv) के रूप में पुन: संख्याकित किया जाए।
27.	खंड–2, शीर्षक सं० 107, उप-शीर्षक (1) सोयाबीन का तेल एवं (6) खजूर का तेल	1. निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी (iii) निविष्ट की गई समझी जाए :— "(iii) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए (1) सोयाबीन तेल एवं (2) खजूर तेल की आवश्यकताएं सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण द्वारा किए गए आयातों से पूर्ण की जाएंगी। कृपया इस पुस्तक का खंड– III देखें। 2. वर्तमान टिप्पणी (iv) को (v) के रूप में पुन: संख्याकित किया जाए।

(1)	(2)	(3)
29	खड 2, शीर्षक स० 25 01 . 2, क्रम स० 12 फ्लोर्सपर, कालम 3	इस टिप्पणी में दर्शाए गए शब्द "गुजरात खनिज विकास निगम, अहमदाबाद द्वारा न उपलब्ध होने के अधीन" को हटाया गया समझा जाए।
84.	खड–2, वर्ग सी शीर्षक राज्य व्यापार निगम भारत लि० (एसटीसी)	1. निम्नलिखित प्रविष्टियां सम्बद्ध कालम मे वर्तमान प्रविष्टि 54–ऊनी चिथड़े के बाद निविष्ट की गई समझी जाए :– "1 | 2 | 3 55 खोपड़ा | वनस्पति, साबुन एवं अन्य 56 सोयाबीन-तेल | औद्योगिक प्रयोजनो मे लगे 57 खजूर-तेल | हुए वास्तविक उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।" 2 वर्तमान क्रम सं० 55 को क्रम सं० 58 के रूप मे पुन संख्यांकित किया गया समझा जाए।
109.	खड 5, परिशिष्ट 1, भाग 4, मद सं० 230	प्रस्तुत प्रविष्टि हटाई गई समझी जाए।
116.	खंड 5, परिशिष्ट 2, क्रम स० 1, कालम 3	निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी को वर्तमान टिप्पणी (4) के बाद जोड़ा गया समझा जाए :— "(5) आवेदन पत्र सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियो को भेजे जाएं अर्थात् महानिदेशक तकनीकी विकास के एककों के मामले में आवेदन पत्र मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को भेजे जाएं और लघु उद्योग के एककों के मामले में आवेदन पत्र उस सम्बद्ध क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारी को जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आवेदक आता है।"
204.	खण्ड 5, परिशिष्ट 19, सूची 1, मद सं० 234	इस मद को हटाया गया समझा जाए।

(1)	(2)	(3)
217.	खण्ड 5, परिशिष्ट 21, कंडिका 3	निम्नलिखित अतिरिक्त उप-कंडिका (3) को निविष्ट किया गया समझा जाए :— "(3) तकनीकी पत्र पत्रिकाएं एवं पत्रिकाएं, समाचार पत्र, समाचार पत्रिका एवं पुस्तकें [खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आने वाले एवं उपर्युक्त (1) पर उल्लिखित साहित्य को छोड़कर] कोटा लाइसेंस के मूल्य के 100% तक के लिए आयात की जा सकती है ।
236.	खण्ड 5, परिशिष्ट 24, कंडिका 3	वर्तमान कंडिका को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "प्रतिदीप्त रंजक और रंगो के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता ।"

ए० एस० गिल,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977